Karmbhumi India Limited

Regd. Office : Surya Complex, Sarveshwari Nagar, Naka Bypass,
Faizabad, (U.P.), INDIA
Regd. No. U70102UP2012PLC053219
Query us: www.mca21.gov.in
visit us: www.karmbhumiindia.com

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड

कर्म भूमि

जहाँ कर्म की पूजा होती है ...

"कर्मभूमि आपकी जल-थल, आसमान में। थी कल साथ, है भविष्य वर्तमान में।।"

महत्वाकाँक्षा

महत्वाकाँक्षा से परिपूर्ण मनुष्य जीवन की हर जंग जीत लेता है और यह संसार केवल महत्वाकाँक्षियों की सृजनात्मक उपलब्धि ही है पल–पल महत्वाकाँक्षियों की रथ यात्रा पग–पग अबाध गति से निरन्तर आगे बढती है और विजय श्री उसका वरण करती है साधनाभाव और विकल्पहीनता उनके सामने ठहर नहीं पाती महत्वाकाँक्षी सदैव कर्मवीर और कर्मयोद्धा होता है वह कर्तव्य के प्रति सदा सचेष्ट रहता है उसका ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर होता है वह विचलित नही हो सकता और यदि सद्मार्ग पर आत्मनियंत्रण से कर्मयोग का पथिक हो तो महत्वाकाँक्षी अपार शक्ति का स्वामी होता है वह स्वाभिमानी होता है न कि झूठा, अभिमानी उसके भीतर विनम्रता बसती है बाहर सजगता पहरा देती है बड़े से बड़ा संकट उसे भयभीत नही कर सकता। न ही कोई लालच उसे पथ से विचलित कर सकती है सत्य का अनुशीलन उसका ध्येय है। समाज के संगठन और देश के निर्माण में उसकी भूमिका निर्णायक होती है क्योकि वह दंभ और निराशा से दूर एकाग्र होकर अपने उद्देश्य की ओर निरन्तर बढ़ता है वह अवगुणों से परे सद्गुणों का आश्रय लेता है। महत्वाकाँक्षी व्यक्ति किसी को अकारण क्षति नहीं पहुँचाता है। अपने साध्य तक पहुँचने के लिए वह नैतिक सिद्धान्तों का ही पालन करता है। वह सच्चे अर्थों में पूर्ण मानव का प्रतिबिम्ब दर्शाता है। महत्वाकाँक्षा सामान्यतयः स्थिर व प्रबल मनोवेग है यह वह दैवीय गुण है जो महान कार्य की प्रेरणा से क्रियाशील होता है और यही महत्वाकाँक्षा साधारण मनुष्य को पुरुषों में उत्तम या देवतुल्य बनाती है। कल्पना के भीतर और बाहर उसका प्रदर्शन द्रष्टव्य है असम्भव की रेखा इनमें विलीन होती है। इसलिए महत्वाकाँक्षा को जीवन का प्राकृतिक स्वरुप माना गया है महत्वाकाँक्षा विशेष मानसिक आवेश की विशेष स्थिति मात्र न होकर आत्मिक एवं भावावेश की पुष्टि करता है। देशकाल के अनुसार उसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन उसके मूल में निहित सृजनात्मक बीज कभी नष्ट नहीं होता इसलिए गुणवान मनुष्य की महत्वाकाँक्षा सार्थक परिणाम की उत्सर्जक बनती है। निर्माण और रचना की दो आँखों से महत्वाकाँक्षी पुनर्निर्माण और संरचना की नीव रखता है। और लोग उसका अनुसरण करते हैं।

डॉ0 शिवकरन कर्मयोद्धा
की कलम से....

सन्देश

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड आर्थिक संगठन एक व्यवस्था के साथ विचारधारा है। व्यवस्था तो साधनाभाव में ठहर जाती है परन्तु विचारधारा कभी नहीं ठहरती। वह अवरोधों और मान्यताओं को पार करते हुए प्रत्येक दिशा में प्रवाहित होती रहती है। व्यवस्था परिवर्तित होती है और विचारधारा परिवर्तन लाती है। परिवर्तित करने पर भी नई व्यवस्था मिलती है और परिवर्तन होने पर भी जो मानव समाज के लिए लाभकारी साबित होती है। आज हमारे पूरे विश्व का मानव समाज या तो पूर्व में किसी की बनाई हुई व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए विकास कर रहा है, या तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा दी गयी विचारधारा के द्वारा परिवर्तन करते हुए विकास कर रहा है। चाहे वह विज्ञान के द्वारा अविष्कार या भौतिक संसाधन हो या फिर किसी विचारधारा से देश की आजादी या अन्य किसी प्रकार की क्रान्ति आई हो जिससे सारे मानव समाज को शुकून एवं लाभ मिला हो। व्यवस्था एवं विचारधारा से लोगों को लाभ ही हुआ है और शुरुआत में विचारधारा ही व्यवस्था का रूप लेती है। विचारधाराओं का अनुशरण लोग देर सबेर जरूर करते हैं और लाभान्वित होते हैं। व्यवस्था बनाने में विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज विश्व का शिक्षित मानव समाज किसी न किसी की पूर्व में बनाई हुई व्यवस्था में ही कार्य एवं जीवन यापन कर रहा है । जिस देश में व्यवस्था मे कार्य करने वाले लोग ज्यादा होते है उस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है जिस देश में व्यवस्था देने वाले लोग ज्यादा होते हैं उस देश की प्रति–व्यक्ति आय ज्यादा होती है वह देश व वहाँ के लोग सम्पन्न एवं समृद्धशाली होते हैं। आप की विचारधारा ने कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड आर्थिक संगठन के रूप में जो व्यवस्था दी है निरन्तर परिवर्तित होते हुए व्यवस्थित एवं विकसित होती रहेगी। कर्मभूमि आर्थिक संगठन के साथ सहयोगी कर्मचारीगण एवं देश के लोग भी लाभान्वित होंगे । जिसकी विचारधारा ने व्यवस्था का रूप लिया हो उस व्यवस्था से मानव समाज भूत, वर्तमान, एवं भविष्य मे लाभान्वित हुआ हो या हो रहा हो और आने वाले भविष्य मे होता रहे। ऐसे व्यक्ति की आने वाली पूरे देश की पीढ़ियाँ ऋणी रहेंगी। क्योंकि शिक्षित मानव समाज का व्यक्ति स्वयं के लिए नौकरी ढूँढता है जीवन यापन के लिए, व्यवस्था देने वाले लोग स्वयं के लिए तो जीवनयापन का मार्ग तलाश लेते हैं देश के अन्य लोगों के लिए भी और आंने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवनयापन का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश की कुल आबादी का 0.00000001 प्रतिशत ही होती है जिनके द्वारा दी गयी व्यवस्था पूरे देश के लोगों के लिये लाभकारी साबित हो। ऐसी सोंच एवं व्यवस्था देने वाले पुरुषों में उत्तम व्यक्तियों का मानव समाज कृतज्ञ एवं ऋणी रहेगा और ऐसे व्यक्ति सभी लोगों द्वारा धन्यवाद के पात्र होंगे।

डॉ0 शिवकरन कर्मयोद्धा
की कलम से....

कर्मभूमि इंडिया लिमिटेड कंपनी का आधार

GOVT OF INDIA

भारत सरकार के प्रमुख अंग

रक्षा मंत्रालय (M.D.A.)
थल, जल,वायु सेना इसके अन्तर्गत आती है।

वित्त मंत्रालय (MFA)
सभी वित्तीय संस्थान इसके अन्तर्गत आते हैं

गृह मंत्रालय (M.H.A.)
सभी कर्मचारी इसके अन्तर्गत आते हैं।

इसके चार विभाग हैं

RBI
बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सभी बैंकों की देख रेख की जाती है।

SEBI
समस्त शेयर एवं विदेशी व्यापार की देख रेख की जाती है

IRDA
समस्त बीमा सेक्टर की देख-रेख की जाती है।

MCA/21
समस्त पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी स्कूल जच्चा बच्चा केन्द्र, सभी सरकारी युनिवर्सिटी और रियल स्टेट, जमीन एवं सभी औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित देख रेख की जाती है।

विश्वास के मुख्य आधार तीन हैं

सुन कर — स्पर्श कर — देखकर

आप हमें देख सकते हैं

COMPANY SITE
www.karmbhumiindialtd.com

GOVT. SITE
www.mca21.gov.in→ SERVICES→
MASTER DATA → L.L.P. NAME →
KARMBHUMI INDIA LIMITED →
CIN NO. U70102UP2012PLC053219

Form 1

Certificate of Incorporation

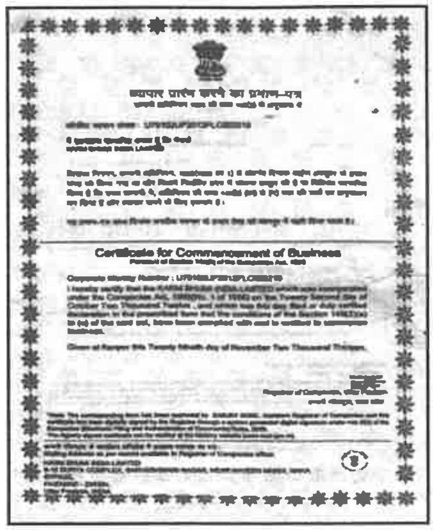
Certificate for Commencement of Business

➢ **कम्पनी का नाम**	:	कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड
➢ **संस्थापक**	:	डॉ. शिव करन कर्मयोद्धा
➢ **स्थापना वर्ष**	:	18 जून 2006 (निगमन 22 अक्टूबर 2012)
➢ **कम्पनी का प्रकार**	:	पब्लिक कम्पनी (अंशधारिता से निगमित)
➢ **कार्यक्षेत्र**	:	सम्पूर्ण भारत (अनुसूचित राज्यों को छोड़कर)
➢ **मुख्य व्यवसाय**	:	रियल एस्टेट, उत्पाद एवं सेवा उद्योग
➢ **उद्देश्य**	:	कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना
➢ **मुख्य उद्देश्य**	:	बेरोजगारी निर्मूलन, उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से देश का विकास करना
➢ **आग्रह**	:	सहभागिता से पूँजी निर्माण, सहकारिता से विस्तार करना

हमारा कल्पना दर्शन : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक विशाल प्रतिस्पर्धी वित्तीय समूह, जो विभिन्न समाजों के लिए महत्त्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

हमारा लक्ष्य :आकांक्षाओं के अनुरूप पूँजी नियोजन, उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नति करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित कर देश का विकास करना।

एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मध्यम और निम्न लोगों की दिशा और दशा पर चिन्तन

क्या हम जानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों नहीं हैं आइये इस विषय पर चिन्तन करते है इसके मुख्यतः 5 कारण हैं इनका हम सबके पास न होना।

1. **धार्मिक संगठन से आय**
2. **शासन सत्ता से आय**
3. **आर्थिक संगठन से आय**
4. **मीडिया से आय**
5. **विचार व वस्तुओं व उद्योगों से आय**

1. धर्म सदियों से आय का साधन रहा है क्या आपके पास धर्म से आय का कोई राष्ट्रव्यापी माध्यम है? नहीं।

धर्म से आय 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में से पूरे भारत के विभिन्न भू–भागों से प्रतिदिन 5 करोड़ लोग विभिन्न धार्मिक स्थलों में औसतन 100 रुपये प्रति व्यक्ति दान देते हैं जो उपरोक्त समाज से सम्बन्ध रखते हैं इसका मतलब 100X5 करोड़ = 500करोड़ रू० **की धर्म से आय** प्रतिदिन होती है जो 100% शुद्ध लाभ में आता है और **उसका कोई उत्तरदायित्व देश** व देश के लोगो के प्रति व देश के विकास के प्रति नहीं है।

क्या इतना बड़ा लाभ किसी भी माध्यम से उपरोक्त समाज को मिल रहा है? नहीं। इस समाज को इस आय के समानान्तर क्या **करना चाहिए?** एक धार्मिक संगठन में एस.सी., एस. टी., ओ.बी.सी. को साथ रहना चाहिए और दान का डायवर्जन कर केन्द्रीयकरण करना चाहिए। जब 80 करोड़ लोग अपना धर्म पर जाने वाला दान स्वधर्म की ओर डायवर्जन करेंगे तब निश्चित ही उपरोक्त समाज के लोग आर्थिक रूप से एक मजबूत संगठन दे पाएंगे। मतलब धर्म की **ओर दिए जाने वाले दान** (धन) का डायवर्जन करना होगा।

2. आपका केन्द्रीय शासन व सत्ता में न होना–

शासन या सत्ता में होने पर पूरे देश की जनता पर लगाये गये सभी तरह के **टैक्स से** एकत्रित कोष से मिलने वाले लाभ का पूर्ण उपयोग राष्ट्र के लिए न होना या जनता के उपयोग में न होना।

जैसे– 1 अरब 30 करोड़ लोगों पर किसी भी विचार, व्यवस्था या उपयोग में आने वाली किसी भी वस्तु पर 20 रूपए प्रति व्यक्ति टैक्स लिया जाता है तो 130 करोड़ X 20=2600अरब रु० प्रतिदिन होता है। ऐसे तमाम वस्तुओं, व्यवस्थाओं, विचारो पर टैक्स के द्वारा पूरे देश की जनसँख्या से प्रतिदिन न जाने

कितने हजार खरब रु० सरकारी खजाने में जाता है। क्या इसका उपयोग उपरोक्त लोगों के शिक्षा, उद्योग, व्यापार या उन्नति के लिए हो रहा है। यदि इससे संतुष्ट नही हैं तो क्या आपको शासन या सत्ता में होना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो प्रजातंत्र में एक साथ मत देके सत्ता हासिल करना। सत्ता के लिए उपरोक्त सभी लोगों को संगठित होकर वोट का डायवर्जन एक पार्टी को करना होगा।

3. आपका राष्ट्रव्यापी आर्थिक संगठन (बैंक) का न होना–

किसी भी देश में उद्योग और व्यापार को वित्तीयपोषण बैंकों द्वारा ही दिया जाता है। बैंकों के माध्यम से 130 करोड़ की जनसँख्या से एटीएम सेवा शुल्क के रूप में 50 करोड़ ग्राहकों से 20 रू० प्रति व्यक्ति लिया जाता है। तो 50 करोड X 20 =1000 करोड़ रु० प्रतिदिन का लाभ उस आर्थिक संगठन को मिलता है। ऐसे तमाम सेवाएं हैं जिस सेवा के बदले कई हजार करोड़ रु० उस बैंक को मिलते हैं। क्या ऐसे संगठन के समानान्तर आपके उपरोक्त समाज के पास कोई आर्थिक संगठन या बैंक है? जिससे आपके समाज की आय कई हजार करोड़ रुपये हो। यदि नही तो क्या ऐसे आर्थिक संगठन या बैंक की व्यवस्था समाज को बनाना चाहिए? यदि हां तो आर्थिक संगठन बनाने के लिए हमारी पहल सहभागिता और सहकारिता के माध्यम से होनी चाहिए। 110 करोड़ लोग अपने द्वारा उपार्जित धन का डायवर्जन स्वस्थापित बैंकों में करें तो निश्चित ही हमारा समाज, देश, मजबूत होगा। जिससे हर दिशा में आप विकास करेंगे।

(सभी सेक्टरों के वित्तपोषण का कार्य यहीं से होता है जिससे समाज व देश का विकास होता है)

4. आपका इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का न होना–

मीडिया विचार और वस्तु को लोगों तक पहुँचाने का काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अच्छे ढंग से विचार और वस्तुओं को सैटेलाइट के माध्यम से देश के विभिन्न भू–भागों पर बसने वाले 1 अरब 30 करोड़ लोगों के दिमाग की मेमोरी में न चाहते हुए भी बैठाने का काम करती है और प्रिंट मीडिया तर्कों को तोड़–मरोड़ कर लिखकर लोगों तक पहुँचाती है जिससे विचारों और बस्तुओं का बाजार बढ़ जाता है और 1 अरब 30 करोड़ की जनसँख्या उस बस्तु और विचार को जिसका प्रचार हुआ है उस विचार को मानती है और वस्तुओं को खरीदती है जिससे होने वाली आय असीमित हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह कार्य कुछ ही सेकंडों में पूरे विश्व में जहाँ तक मानव–सभ्यता बसती है, संभव है। इस क्षेत्र में आपका होना अतिआवश्यक है। जिससे विज्ञापन मात्र से अरबों–खरबों रूपये प्रतिदिन लाभ होता है। क्या इस तरह के आय का कोई माध्यम आप सब के पास है? यदि नही तो इस क्षेत्र में उतरना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की एक बड़ी पहल सहभागिता से करनी चाहिए।

5. आपके द्वारा विचार और वस्तुओं का निर्माण ना होना–

देश की 1 अरब 30 करोड़ की जनसँख्या के उपयोग की वस्तुओं जो आम लोगों के उपभोग की वस्तुएँ हों उनका निर्माण और उस माध्यम से होने वाली आय जैसे उर्जा, संचार, परिवहन,

सैटेलाइट, गाड़ी, मोबाइल, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, खाद्य, सभी उपयोगी बस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के क्षेत्रों में न होना। जैसे– आप मोबाइल निर्माण करें, और 10 करोड़ मोबाइल बेचें और उस पर प्रति पीस पर 1000रु० शुद्ध लाभ हो तो 10 करोड़ x 1000 रु० = 10 हजार करोड़ रु० शुद्ध लाभ होता है। उद्योग, उत्पाद, व व्यापार के क्षेत्रो में कार्य करने के लिए वित्त की अति आवश्यकता होती है जिसमें आप स्वयं की पूँजी से शुरुआत करे या बैंको से वित्तीयपोषण के द्वारा।

उपरोक्त पाँचों क्षेत्रों में जब तक देश की 90% जनसँख्या में से लोग शुरुआत करके आय इस तरह अर्जन नहीं करेंगे। तब तक ये उपभोग और उपयोग होता रहेगा और खाली जुबानी जंग ही कर सकता है बदलाव नही कर सकताद्य हम आपसे आग्रह करते हैं हम बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। समर्थन और संगठन और व्यवस्था बनाकर बदलाव करें। जिससे समाज और देश का पूर्णतः विकास हो।

कर्मभूमि इण्डिया (माध्यम नम्बर 3) आर्थिक संगठन से आय (बैंकिंग) के लिए कार्य कर रही है यह स्पष्ट उद्देश्य है जिसके माध्यम से 1,2 एवं 4,5 के संगठन व उद्देश्य चलाये या पूरे किये जा सकते हैं। क्योंकि आर्थिक संगठन के बिना अन्य कोई भी संगठन और कार्य सूक्ष्म या विशाल स्तर पर संचालित नही किया जा सकता। चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनैतिक, औद्योगिक किसी भी तरह का हो।

आर्थिक संगठन के बिना कोई कार्य नही कर सकते इसका मतलब है हम सभी को आर्थिक संगठन जो देशव्यापी हो बनाने की आवश्यकता है। यह कार्य धीरे धीरे भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है।

प्रत्येक राज्य से 10 और **प्रत्येक जिले से 25 लोग** को **पंजीकरण** और **प्रशिक्षण** देते हुए कार्य को संचालित कर रहे हैं सभी **पंजीकृत एवं प्रशिक्षित** व्यक्ति निर्धारित 36 वों **राज्यों** व 707 जिलों में निर्देशों के अनुसार समस्त भारत में कार्य करेंगे। **पूर्वनिर्धारित** नियमानुसार कार्य करते हुए मात्र 1 से 3 वर्षो में आर्थिक संगठन को देश **स्तर पर स्थापित करने** का उद्देश्य है जिसका नियम और निर्देशन अग्रलिखित है ।

द्वारा

डॉ शिव करन कर्मयोधा

(संस्थापक, कर्मभूमि इंडिया लि०)

एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का आर्थिक संगठन (कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया) आवश्यक क्यों??

प्रस्तावना– किसी भी देश के विकास का रास्ता लोगों के शारीरिक, मानसिक श्रम द्वारा उत्सर्जित पूँजी से होकर निकलता है। पूँजी का एकत्रीकरण करके देश के आर्थिक संगठनो का निर्माण होता है। देश के लोगों के श्रम द्वरा उपार्जित पूँजी से ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया जैसे बैंकों का निर्माण हुआ है। पूँजी उत्पादन की पहली इकाई श्रम ही है आज विश्व के जितने भी बैंक हैं आम लोगों के श्रम द्वारा उत्सर्जित पूँजी के संग्रह केंद्र हैं। और देश की जनसंख्या 130 करोड़ के आस–पास है जिसमें 98% जनसँख्या सिर्फ श्रम के द्वारा पूँजी उत्सर्जित करके ही भौतिक साधनों को अर्जित करते हुए जीवनयापन कर रही है। बाकी के 2% लोग मानसिक श्रम करते हुए फाइनेंस और लोन लेकर 98% लोगों के श्रम द्वारा उपार्जित पूँजी का बैंकिंग, बीमा, उद्योग, उत्पाद और व्यापार में नियोजित करते हैं। जिससे एक बड़ा लाभ उन्हें जाता रहता है। जैसे एक बैंक है उसके 50 करोड़ ग्राहक है और हर ग्राहक का 5,000 रु उसके account में है। इसका मतलब 5000X50 करोड़= 2,500,000,000,000 (पच्चीस खरब)।

इसलिए 250,000,000,0000/10,000,000=250,000/– (दो लाख पचास हजार करोड़)

अतः दो लाख 50 हजार करोड़ रुपयों का नियोजन उस बैंक द्वारा हो रहा है। इस तरह मानसिक श्रम और बैंकिंग सिस्टम द्वारा एक बड़ी पूँजी का नियोजन कर रहे हैं। यदि आप ए.टी.एम. का उपयोग कर रहे हैं तो 20 रु० आपके खाते से स्वतः ही कट कर उनको लाभ के रूप में मिलता है जिससे 50 करोड X 20=1,000 करोड़ प्रतिदिन बैंक लाभ में जा रहे हैं।

इसी तरह DD, CHEQUE, RTGS, IMPS व अन्य व्यवस्था द्वारा सेवा के बदले 30 रु० तो मिल रहे हैं इसका मतलब श्रम की पूँजी का 1.8% लोग उद्योग, उत्पाद और व्यापार के द्वारा लाभ में हैं बाकी 0.2% लोग बड़ी कम्पनियों द्वारा बड़े उत्पादन के लाभ मानसिक श्रम द्वारा नियोजित हो रहे हैं जो बैंकों द्वारा वित्तपोषित होती है। जिनके द्वारा एक बहुत बड़ी पूँजी का निर्माण होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।

आर्थिक संगठन (बैंक) ही उद्योग, उत्पादन, व्यापार, को बढ़ावा देते हैं जिससे मानसिक श्रम करने वालों की औसत संख्या 2% से बढ़कर 5% से भी अधिक पहुँच रही है। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा समाज व देश में सम्बृद्धि आ रही है। इसके लिए आपको कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन (बैंक) की स्थापना के साथ श्रम द्वारा जो उपार्जित पूँजी है उसका केन्द्रीकरण के द्वारा संग्रह करके उद्योग, उत्पाद, व्यापार, शिक्षा, मीडिया को वित्तीय पोषण के द्वारा बढ़ावा देना है। जिससे युवाओं को रोजगार और देश को विकसित किया जा सके।

– किसी भी देश के जो मुख्य सेक्टर हैं वो बैंको के द्वारा ही वित्तपोषित होते हैं। जिसमें महारत्ना कम्पनियाँ, अन्य कम्पनियाँ, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े कल–कारखाने, उद्योग, उत्पाद, व्यापार,

मीडिया व छोटी एवं बड़ी दुकानें तक शामिल हैं जिनसे मानसिक और शारीरिक श्रम के द्वारा उत्सर्जित पूँजी पुनः कुछ % व्याज के साथ वापस पूँजी के संग्रह केंद्र (बैंकों) को जाती है। और यह व्यवस्था निरंतर बृद्धि करती रहती है और आगे पुनः किसी भी सेक्टर में कार्य करने वाली कम्पनियों को वित्तीय पोषण नियमों के अन्तर्गत प्रदान करते रहते हैं। जिससे व्यक्ति, व्यवस्था एवं देश का चहुँमुखी विकास होता है।

बैंकिंग व्यवस्थाएं अधिक होने से देश के लोगों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सुविधाएँ शीघ्र और सुगमता से उपलब्ध हो जाती है जिससे देश के लोग अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में निरन्तर बृद्धि करते हुए राष्ट्र का विकास करते है और राष्ट्र विकसित श्रेणी में शुमार होता है। इसलिए कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना करना है। बैंकों की स्थापना पहले सेठ साहूकारों, राजा, बादशाहों, द्वारा किया गया। और इस व्यवस्था ने धीरे–धीरे इतना विशाल रूप ले लिया जो सारे सेक्टरों को संचालित करने के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करता है।

किसी उद्योग को संचालित करने के लिए यदि 10 करोड़ की स्वयं की पूँजी नहीं है तो भी बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह उद्योग को बढ़ावा मिल जाता है।

बैंकिंग लाइसेंस के लिए RBI के द्वारा निर्देशित मापदण्ड– वह संगठन जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है कम से कम 7 वर्ष पुराना हो, 2 से अधिक राज्यों में कार्यरत हो, 500 से अधिक कर्मचारी हों, उसके पास 200 करोड़ की धरोहर राशि और 300 करोड़ बैंकिंग उपयोग के लिए होने चाहिए। यह धनराशि 60% पब्लिक निवेश हो और 40% अंशधारिता राशि हो। ऐसे संस्थान ही बैंकिग के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड कम्पनी **धनराशि को** छोड़कर अन्य सारे मापदंड को पूरा करती है। इसलिए संगठन को **बैंक स्थापित करने के लिए** 1 करोड़ लोगों से 1000/– रूपये की सहयोग **धनराशि जुटानी होगी। इस** तरह संगठन बैंक की स्थापना कर सकता है। इन्हीं लोगों द्वारा प्रति **व्यक्ति मात्र 10000 रुपयें निवेश** हो तो (1 **करोड़** X10000)=10 हजार करोड़ रु0 बैंकिंग नियोजन हेतु संगठन **के** पास उपलब्ध **रहेंगे** जिससे वित्तपोषण द्वारा उपरोक्त उद्यमों को विस्तार व पूँजी निर्माण करते हुए **समग्र देश का विकास** किया जा सकता है।

यही सोच के साथ हम कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना करना चाहते हैं। आप सभी की सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सहभागिता की आवश्यकता है ।

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड द्वारा कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड मूलतः पब्लिक कंपनी है जिसका मुख्य कार्य रियल एस्टेट व इससे सम्बंधित अन्य सारे कार्य करना है।

जिसके माध्यम से कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड कम्पनी प्लानों के अन्तर्गत पब्लिक से फण्ड जुटाकर रियल एस्टेट जिसमे जमीन खरीदना, बेचना एवं जमीनों से सम्बन्धित अन्य सारे कार्य करके उसके द्वारा अर्जित लाभ से पब्लिक द्वारा जुटाए गये धन को लाभ के साथ वापस करना एवं कम्पनी का विकास करना है।

आज ही नहीं बीते हुए कल से ही कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड के संस्थापक का उद्देश्य था कि हमें आज नहीं तो कल भारत में एक आर्थिक संगठन बनाना है। आज डॉ शिव करन कर्मयोद्धा लोगों का सहयोग प्राप्त करते हुए कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से आर्थिक संगठन **(कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया)** की स्थापना के लिए देश के 36 प्रान्तों, 707 जिलों, 5410 तहसीलों एवं 6612 विकास खण्डो सहित सम्पूर्ण भारत में संरचनात्मक एवं संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं जिसका दूरगामी परिणाम देश की उन्नति, युवाओं की प्रगति एवं पीढियों के लिए लाभकारी साबित होगा।

कर्मभूमि बैंक ऑफ इण्डिया (आर्थिक संगठन) आवश्यक क्यों??

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड देशव्यापी आर्थिक संगठन क्यों इसलिए कि आर्थिक संगठन के बिना अन्य कोई भी संगठन और कार्य सूक्ष्म या विशाल स्तर पर संचालित नहीं किया जा सकता। चाहे वह सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनैतिक, औधोगिक किसी भी तरह का हो। और बिना संगठन के कोई कार्य नहीं कर सकते इसका मतलब है हम सभी को आर्थिक संगठन जो देशव्यापी हो बनाने की आवश्यकता है। यह कार्य धीरे धीरे भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है।

आप सभी के सहयोग से निकट भविष्य में आने वाले 1 से 3 बर्ष के उपरान्त सभी राज्यों, जिलों, तहसीलों एवं विकास खंडो में विस्तारात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से बृद्धि करते हुए निकट भविष्य में सम्पूर्ण देश में कार्य करेंगे।

कर्मभूमि इण्डिया (आर्थिक संगठन) जो मूलतः देश के लोगों के सहयोग के द्वारा स्थापित और संचालित हो रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य देशव्यापी आर्थिक संगठन को मजबूत करना व खासकर उन लोगों के लिए जो अपने द्वारा अर्जित पूँजी को नियोजित करने के लिए स्वयं या उनके समाज के द्वारा निर्मित कोई आर्थिक संगठन ना होने के कारण जो लोग इनके शोषण के लिए तरह–तरह की संस्थाएं बनाते रहते है और शोषण करते रहे है उन्हें ही अपने श्रम से उत्पादित जमा पूँजी देने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि इनके पास अपना कोई आर्थिक संगठन नहीं हैं।

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड (आर्थिक संगठन) को देश के सभी राज्यों, जिलों, तहसीलों एवं

विकास खंडो जहाँ तक व्यवस्थाएं पहुँचाई जा सकती है। इस आर्थिक संगठन की व्यवस्था सुदृढ़ करने की योजना है।

इसके लिए दो मूल आवश्यकतायें हैं (1) **व्यक्ति,** जो व्यवस्था में कार्य करे, (2) **पूँजी,** जिससे आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकें।

1. व्यक्तियों का चयन मुख्यतः दो प्रकार से किया जायेगा

(1.) केंद्रीय सामाजिक व्यवस्थापक ग्रुप (2.) केंद्रीय कर्मचारी व्यवस्थापक ग्रुप

(1) सामाजिक व्यवस्थापक ग्रुप का चयन काउंसिलिंग द्वारा पंजीकरण करके—

— प्रत्येक प्रान्त से 10 लोगों को प्रशिक्षण

कुल राज्यों की संख्या 36

प्रशिक्षित कुल लोगों की संख्या 36X10= 360

— प्रत्येक मण्डल से 5 लोगों को प्रशिक्षण

कुल मण्डलों की संख्या 171

प्रशिक्षित कुल लोगों की संख्या= 171X5=855

—प्रत्येक जिले से 100 लोगों को प्रशिक्षण

जिलों की संख्या 707

प्रशिक्षित कुल लोगों की संख्या 707X100=70700

जिसमें जिला तहसील ब्लाक स्तर के प्रशिक्षित सोशल मैनेजमेंट लोग शामिल होंगे।

अतः कुल प्रशिक्षित लोगों की संख्या 70,700 + 855 + 360 = 71,915

1. केन्द्रीय स्तर के पदाधिकारियों का चयन (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे और इनका स्तर BOD के सामानांतर होगा) इनकी संख्या सभी प्रान्तों से 36X3=108 होगी इनमें से प्रत्येक राज्य से मात्र तीन लोगों का चयन होगा। जिन्हें नियमों, आदेशों और निर्देशों में कार्य करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में समाहित किया जायेगा। अन्य वित्तीय लाभ व सुविधाएँ नियमानुसार प्राप्त होंगी।

2. प्रान्तीय स्तर के पदाधिकारियों का चयन (BOD और केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी करेंगे) जिसमे 36 प्रान्तों में प्रत्येक प्रान्त से व्यक्तियों की संख्या 10 होगी। अतः इनकी कुल संख्या 36X10 =360 होगी, और राज्यों में इनका पद निर्णायक होगा। संगठन के नियमों, आदेशों और निर्देशों में कार्य करते हुए केन्द्रीय स्तर के पदाधिकारियों में

पदोन्नति द्वारा समाहित किया जायेगा। अन्य वित्तीय लाभ व सुविधाएँ नियमानुसार प्राप्त होंगी।

3. मण्डलीय स्तर के पदाधिकारियों का चयन (केन्द्रीय एवं प्रान्तीय पदाधिकारी करेंगे) इनकी संख्या प्रत्येक मण्डल से 5 होगी। ये पदाधिकारी मण्डल के लिए महत्वपूर्ण एवं निर्णायक होंग। जिसमे कुल मण्डलीय पदाधिकारियों की संख्या 171 मण्डलों से 171X5= 855 होगी। संगठन के नियमों, आदेशों और निर्देशों में कार्य करते हुए प्रान्तीय स्तर के पदाधिकारियो में पदोन्नति द्वारा समाहित किया जायेगा। अन्य वित्तीय लाभ व सुविधाएँ नियमानुसार प्राप्त होंगी।

4. जिले स्तर के पदाधिकारियों का चयन (प्रान्तीय और मण्डलीय पदाधिकारी करेंगे) इनकी संख्या प्रत्येक जिले से 10 होगी। जिले स्तर के पदों पर ये व्यक्ति महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें कुल जिले स्तर के पदाधिकारियों की संख्या 707 जिलों से 707X10= 7070 होगी। देश में जिले स्तर के पदाधिकारियों की संख्या 7070 होगी। संगठन के नियमों, आदेशों और निर्देशों में कार्य करते हुए मण्डलीय स्तर के पदाधिकारियों में पदोन्नति द्वारा समाहित किया जायेगा। अन्य वित्तीय लाभ व सुविधाएँ नियमानुसार प्राप्त होंगी।

5. तहसील स्तर के पदाधिकारियों का चयन(मण्डलीय और जिले स्तर के पदाधिकारी करेंगे) इनकी संख्या कुल 5410 तहसीलों में प्रत्येक से 5 होगी अतः 5410X 5=27050 होगी। जो तहसीलों के महत्वपूर्ण पदों पर होंगे। संगठन के नियमों, आदेशों और निर्देशों में कार्य करते हुए जिले स्तर के पदाधिकारियो में पदोन्नति द्वारा समाहित किया जायेगा। अन्य वित्तीय लाभ व सुविधाएँ नियमानुसार प्राप्त होंगी।

6. ब्लाक स्तर के पदाधिकारियों का चयन (जिले और तहसील स्तर के पदाधिकारी करेंगे) इनकी संख्या कुल 6612 ब्लाकों से प्रत्येक ब्लाक से 5 होगी अतः 6612X5=33060 होगी। जो ब्लाक के पदों पर संगठन के लिए महत्वपूर्ण इकाई होंगेद्य संगठन के नियमों, आदेशों और निर्देशों में कार्य करते हुए तहसील स्तर के पदाधिकारियों में पदोन्नति द्वारा समाहित किया जायेगा। अन्य वित्तीय लाभ व सुविधाएँ नियमानुसार प्राप्त होंगी।

इनका कार्य प्रशिक्षण के उपरान्त प्रचार, प्रसार, सहयोग व सहभागिता धनराशि जुटाना, मीटिंग का आयोजन करना उच्च पदाधिकारियों को सूचित करना, संगठन के विकास के लिए संगठन के निर्देशों में कार्य करना और लोगों को प्रेरित करना है।

नोट– उपरोक्त लोगों के चयन हेतु योग्य लोगों का नाम सभी स्तर के कर्मचारी ब्लाक, तहसील और जिलों से चयन व प्रेषित कर सकते हैं और विचार करके सम्बंधित योग्य और उच्च अधिकारियों द्वारा नाम चयन पंजीकरण द्वारा किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय कर्मचारी व्यवस्थापक ग्रुप का चयन रिक्रूटमेंट द्वारा (विज्ञापन के माध्यम से)

देश को कुल 8 जोन में बांटा गया हैं जो निम्न है

(1) दिल्ली (2) मुंबई (3) कोलकाता (4) चेन्नई (5) भोपाल (6) पटना (7) चंडीगढ़ (8) शिमला

- सभी में 1 जोन ऑफिसर, प्रत्येक जोन में कम से कम 2 प्रान्त और अधिकतम 5 प्रान्त निहित किये गये हैं।
- जोन के सभी प्रान्तों की संख्या 36 महाप्रबन्धकों की संख्या = 36
- सभी प्रान्तों को मिलाकर कुल 171 मण्डल हैं, अतः कुल मण्डलीय प्रबंधको की संख्या 171
- सभी जिलो की संख्या 707 है अतः कुल जिला प्रबंधको की संख्या 707X1=707
- प्रत्येक जिले में 10 से अधिक शाखाएं, सभी शाखाओ में शाखा प्रबंधकों की संख्या 707X10=7070
- प्रत्येक शाखा पर 20 विकास अधिकारी, अतः कुल विकास अधिकारियों की संख्या = 7070X20=141400
- अतः कुल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 8 जोन ऑफिसरों **36 महाप्रन्धकों** 171 मण्डलीय प्रबंधकों 707 जिला प्रबंधक 7070 शाखा प्रबंधकों 141,400 विकास **अधिकारियों के साथ** कुल व्यवस्थापक कर्मचारियो की संख्या =149,356
- ये सभी फील्ड और ऑफिसों के कर्मचारी होंगे। और अन्य विभागीय कर्मचारियों की संख्या इसकी 5 गुना 149,356X5=746,780 होगी। जैसे चपरासी, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर व आवश्यक अन्य पद।

कर्मचारियों के लिए योग्यता के मापदंड

राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय व जिले स्तर के पदों पर शिक्षित **युवाओं** जो **विशेषकर** HRM (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर), ZM (जोनल मैनेजर), GM (जनरल मैनेजर), DvM (डिवीजनल मैनेजर), BM (ब्रांच मैनेजर), व DO (डेवलपमेंट ऑफिसर) के पदों पर चयन होने हैं। HRM (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर) से BM (ब्रांच मैनेजर) पदों के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों से MBA, BBA, BCA, MCA, MARKETING, COMPANY MANAGEMENT या अन्य BUSINESS COURSE जैसे व्यावसायिक अध्ययन, COMMERCE, अर्थशास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हो या समकक्ष हो। ऑनलाइन अपने रिज्यूमे के साथ **www-karmbhumiindia-com** पर आवेदन कर सकता है। जिन्हें संगठन

रिक्रूटमेंट के द्वारा भी चयन कर सकता है।

संगठन की व्यवस्थायें संचालन के लिए कार्यालयों में कार्य करने वाले पद, नाम, योग्यता, अनुभव, ZO से BM तक सभी पदों के लिए MBA के साथ, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ जो क्रमशः 5 वर्ष (ZO), 3 वर्ष (GM), 3 वर्ष (DvM), 2 वर्ष (BM), 1 वर्ष (DO) का अनुभव हो वह अभ्यर्थी ही चयन किये जायेंगे।

1. देश के ZONE में कार्य व्यवस्था देखने के लिए कुल 8 ZO (जोनल ऑफिसर) हैं। जो निम्न जोनों में कार्य करेंगे–

    1. भोपाल

        1. मध्यप्रदेश 2. छत्तीसगढ़

    2. चंडीगढ़

        1. चंडीगढ़ 2. पंजाब

    3. दिल्ली

        1. हरियाणा 2. दिल्ली 3. उत्तराखंड 4. उत्तर प्रदेश 5. राजस्थान

    4. कोलकाता

        1. पश्चिम बंगाल 2. उड़ीसा 3. अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह

    5. मुंबई

        1. गुजरात 2. महाराष्ट्र 3. गोवा

    6. पटना

        1. विहार 2. झारखण्ड

    7. शिमला

        1. हिमांचल प्रदेश 2. जम्मू

    8. चेन्नई

    1. तमिलनाडु 2. केरल 3. कर्नाटक 4. आंध्र प्रदेश 5. तेलंगाना

2. प्रान्त– 36, 1 (36 जनरल मेनेजर) प्रत्येक राज्य में एक जनरल मेनेजर

3. प्रत्येक मण्डल को देखने के लिए 171 (मण्डल प्रबंधक)

4. प्रत्येक जिले को देखने के लिए जिला महा प्रबंधक 707 BM (जिला प्रबंधक) उपरोक्त सभी पद क्षेत्र एवं कार्यालय से सम्बंधित हैं।

5. प्रत्येक जिले में 10 ब्रांच मेनेजर 707X10= 7070 ब्रांच मेनेजर

6. प्रत्येक जिले में कम से कम 20 विकास अधिकारी होगें , कुल संख्या (20X707=14,140) होगी तहसील स्तर 5410X5+ 6612X5=60110 (डेवलपमेंट ऑफिसर) जो तहसील और ब्लॉक स्तर के होंगे। ये सभी पद कार्यालय व फील्ड से सम्बंधित हैं। इनका कार्य सभी क्षेत्रो में संगठन में कार्य करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करना है। जिन्हें मात्र तय प्रोत्साहन राशि पर कार्य करना होगा। DO और ऊपर के सभी पद संगठन द्वारा वित्तपोषित होगें। ?

4. संपर्क माध्यम(सभी पंजीकृत सदस्यों के माध्यम से)–

राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय एंव जिले स्तर के सरकारी संस्थाओ, प्राइवेट संस्थाएं सोसाइटी ट्रस्ट व सामाजिक संस्थाओ द्वारा जारी डायरेक्टरी, पत्रिकाओं एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रान्त से 3, प्रान्तीय स्तर पर प्रत्येक से 10–10, मण्डलीय स्तर पर प्रत्येक से 5, जिले स्तर पर प्रत्येक से 10, तहसील स्तर पर प्रत्येक से 5, और ब्लाक स्तर पर प्रत्येक से 5 लोगो से संपर्क स्थापित कर कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन के उद्देश्य पूर्ति हेतु मीटिंग बुलाना और विस्तार पूर्वक जानकारी देना व अभिप्रेरित करके सहयोग हेतु समर्थन प्राप्त करना इस आर्थिक संगठन द्वारा हम सब को दीर्घकालिक लाभ की जानकारी देना। संगठन में भारत के सभी प्रान्तों, मंडलों, जिलों, तहसीलों व ब्लाक स्तर के प्रथम दृष्टया सहयोग एवं उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करने वालो को आजीवन लाभ की व्यवस्था की जानकारी देना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु हम सब को संगठन के निर्देशन में कार्य करना होगा इसके लिए राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय, जिले स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सब को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिससे आप को सारी जानकारी हासिल हो सके और कार्य करने और अन्य लोगो को प्रशिक्षण देने में सुविधा हो। प्रशिक्षण के उपरांत सभी पंजीकृत व्यक्ति या लोग अपने–अपने जिले के 300 सेवानिवृत्त, 500 सेवारत और 20 सामाजिक कार्यकर्ताओ की लिस्ट बनायेंग। जो नाम पता और संपर्क नंबर सहित होगी और उसे संगठन के ईमेल, फैक्स पर भेजना होगा, जिससे कि संगठन–कार्यालय से फोन करके आग्रह किया जा सके, आप स्वयं भी निर्धारित दिनांक, दिन, स्थान और समय पर उन्हें आने के लिए आग्रह कर सके ताकि सामूहिक रूप से उद्देश्य प्राप्ति हेतु विचार प्रस्तुत किया जा सके।

नोट–संगठन के इस कार्य को राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय और जिले स्तर के लोग सामूहिक रूप से करेंगे। जिसमे राष्ट्रीय स्तर के लिए सभी प्रान्तों से, प्रान्त स्तर के लिए सभी मंडलों से, मण्डलीय स्तर के लिए जिलों से और जिले स्तर के लिए तहसील व ब्लाक स्तर के कर्मचारी सामूहिक रूप से उद्देश्य प्राप्ति हेतु निर्देशन में कार्य करेंगे।

5. विस्तार योजना–

देश के सभी 8 जोनों, 36 राज्यों, 707 जिलों, 5410 तहसीलों, 6612 ब्लाकों के साथ सभी उपब्रांचों तक होगी।

उपरोक्त माध्यम से व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए सभी राज्यों से 10–10 सभी जिलों से 10–10 व्यक्तियों का पंजीकरण करके प्रशिक्षण देना, कार्यभार सौपना, लाभ की जानकारी देकर अभिप्रेरित करना है जिससे सम्पूर्ण देश के सभी राज्यों, मंडलों, जिलों , तहसीलों, ब्लाकों सहित संगठन के कार्य को एक साथ नियोजित किया जा सके। जिससे कि शीघ्रता से संगठन विस्तारित हो सके। संगठन के इस कार्य में उपरोक्त सभी का मानसिक और आर्थिक सहयोग मूल रूप से आवश्यक है। आप सभी के माध्यम से सम्पूर्ण देश में व्यवस्था का वैचारिक प्रचार व प्रसार आसानी से संभव हो सकेगा। उपरोक्त सभी कर्मचारियों का संगठन के उत्तरोत्तर विकास के लिए निरंतर प्रयास होगा। और आप सब दीर्घकालिक लाभ के लिए आजीवन सदस्य होंगे।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र– शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र , आधार कार्ड , बैंक एकाउंट की फोटो कॉपी, 2 फोटो, 250 रुपये पंजीयन शुल्क, (250 रु. स्टेशनरी खर्च जो मात्र एक बार देय है जो बुक ब्रोशर, आई कार्ड व अन्य आवश्यक खर्च हेतु है जो वापस नहीं किया जायेगा)।

नोट उपरोक्त सभी पदाधिकारी नियमों, आदेशो, निर्देशों में संगठन के प्रति निष्ठा, इमानदारी व उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करते हुए पदोन्नति करेंगे। नियमानुसार वेतन व अन्य सारी सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

सामाजिक व्यास्थापक ग्रुप के प्रशिक्षित कर्मचारियों को उनके द्वारा रसीदों से प्राप्त सहयोग धनराशि की 25 % एवं निवेश करायी गयी धनराशि का 7% प्राप्त होगा जो उनके खाते में भेजा जायेगा और निरन्तर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा कुल निवेश करायी गयी धनराशि से जो शुद्ध लाभ संगठन को प्राप्त होगा उसका 1% माह एवं पद के अनुसार वेतन से वित्तपोषित होगा। सभी कर्मचारी संगठन के लिए निरंतर कार्य व सहयोग करते रहेंगे।

6. सेवानिवृत्त एवं सेवारत लोगों की सूची–

प्रत्येक जिले से पंजीकृत 10 लोग जजेज, आईएएस, पीसीएस, गजेटेड ऑफिसर, व अन्य महत्वपूर्ण पदों से सेवानिवृत्त एवं सेवारत 500 लोगों का नाम, पता, संपर्क नंबर सहित जो निकट वर्ष में सेवानिवृत्त हुए हों या सेवारत हों, सुस्पष्ट सूची दो प्रतियों में बनाना, जिसमें से एक प्रति कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड के मेल या फैक्स पर भेज देंगे और एक प्रति अपने पास रखेंगे जिससे निर्देश आदान प्रदान किया जा सके। उन सभी लोगों को आर्थिक संगठन के उद्देश्य के बारे में जानकारी देना और सहयोग राशि रसीद के द्वारा 1000/रु० का जो मीटिंगों में आने वाले आवश्यक खर्च के लिए जुटाए जायेंगे ये कार्य सभी जिलों के कर्मचारी करेंगे। तदोपरान्त कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन की ओर से उन्हें निर्देशानुसार स्थान, दिन, दिनांक, और समय निर्धारित करके कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन के उद्देश्यों की प्रस्तुति के लिए नियत स्थान पर पहुचने का आग्रह करेंगे। जिसका पूर्व–निर्धारण संगठन के उच्च कर्मचारियों के निर्देशानुसार या मीटिंग आयोजित करने वाले आयोजक और केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कर्मचारियों की सुविधानुसार निर्धारित किया जायेगा। मीटिंग निर्धारित करने वाला कर्मचारी राज्य मण्डल और जिले के कर्मचारियों को अपने से उच्च्य अधिकारियो को सूचित करके

उनके निर्देशानुसार समय निर्धारित करना होगा। जिससे कि संगठन के विचारों एवं उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण व प्रशिक्षण बेहतर हो सके और आये हुए कर्मचारी एवं अन्य लोग संगठन के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें। कर्मचारी उद्देश्य पूर्ति हेतु सभी से सहयोग व निवेश के लिए अंशधारिता और सहभागिता की भावना पैदा कर आग्रह करेंगे। जिसमे मण्डल, जिले, तहसील और ब्लाक स्तर पर विकास हेतु लाभ बताते हुए प्लानों द्वारा सहभागिता व निवेश के लिए आग्रह करेंगे। जिससे संगठन का आसानी से विकास व विस्तार हो सके।

व्यवस्था संचालन के लिए आवश्यक उपयोगी संसाधन–

व्यवस्था संचालन के लिए राजकीय, मण्डलीय, जिले स्तर के कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्रत्येक प्रान्त, मण्डल और जिलों मे ऑफिसों के कार्य संचालन हेतु, कंप्यूटर कुर्सी, मेज, स्टेशनरी व अन्य आवश्यक व उपयोगी संसाधनों की अवश्यकता होगी। जिससे एक बड़ा खर्च संगठन पर आएगा। जिसे सहयोग राशि द्वारा प्रत्येक जिले से प्राप्त संगठन के सहयोग राशि से नियोजित किया जायेगा। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले में तहसील तक 10 लोग जो रजिस्टर्ड है वही अधिकृत होंगे।

7. व्यवस्था संचालन के लिए शक्तियां–

कर्मभूमि इण्डिया एक देशव्यापी आर्थिक संगठन है जिसमें 8 जोन 36 राज्य, 171 मण्डल , 707 जिले, 5410 तहसीले एवं 6612 ब्लाक हैं। देश के सभी जिलों तक व्यवस्था पहुचाना यह एक बड़ा एवं असंभव कार्य है जो विश्वसनीयतापूर्ण, जिम्मेदारीपूर्ण व उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ ही पूर्ण किया जा सकता है। जो बिना सहभागिता व सहकारिता के संभव नहीं हो सकता। इस कार्य को सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सोचने वाले समर्पित व्यक्ति ही पूर्णता की ओर समर्पण व विश्वास के साथ ले चल सकते हैं। जिसमे मुख्यतया दो महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता है। जो है (1) संकल्प और (2) विश्वास, ये ही संस्था को स्थापित कर सकता है, संकल्प और विश्वास ही हम सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं जो हमे प्रेरित करके पूर्णताः की ओर ले चलते हैं। इसके उपरांत मूलरूप से दो महत्वपूर्ण शक्तियों की आवश्यकता होती है जो अग्रलिखित है–

1. **मानव शक्ति**
2. **अर्थ शक्ति**

1. मानव शक्ति–

केन्द्रीय पदाधिकारियों में मानव शक्ति का चयन 36 प्रान्तों से प्रत्येक में 3X36=108, प्रत्येक प्रान्तीय पदाधिकारियों में प्रत्येक प्रान्त से 10X36=360 होंगे। मण्डलीय पदाधिकारी प्रत्येक मण्डल से 5 X 171=855 होंगे। जिले के पदाधिकारी प्रत्येक जिले से 10 X 707 = 7070 होंगे। तहसील स्तर के पदाधिकारी प्रत्येक से 5 X 5410 = 27050 होंगे। ब्लाक स्तर के पदाधिकारी प्रत्येक से 5 X 6612 =33060 होंगे। संगठन में पूरे देश से केन्द्र , विभिन्न प्रान्त, जिलों, तहसीलों व समस्त ब्लाको से कुल 68,503 संगठन के प्रति निष्ठावान, समर्पित लोगों की आवश्यकता है। जिन्हें पंजीकृत, प्रशिक्षित,

भारार्पण, वित्तपोषण एवं निर्देशन देते हुए कार्यान्वित किया जायेगा। जो इस संगठन को शीघ्रता से पूरे देश में प्रचारित, प्रसारित व स्थापित करेंगे। यह कार्य आप सभी पदाधिकारियों के सहयोग से ही सुव्यवस्थित किया जायेगा। पदाधिकारियों का चयन पंजीयन प्रक्रिया से पूरा किया जा रहा हैद्य कर्मभूमि इण्डिया में ये सभी पदाधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर संगठन के नियमानुसार कार्य करते हुए दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते रहेंगे जिसकी व्यवस्था संगठन ने सॉफ्टवेयर के अंतर्गत की है। जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी जाएगी।

2. अर्थ शक्ति (सहयोग धनराशि द्वारा पूँजी निर्माण)–

उपरोक्त 68,503 पदाधिकारी जो चयनित किये गये है, केन्द्र, प्रान्त, मण्डल, जिले, तहसील, ब्लाक स्तर के लिए सहयोग राशि जुटाने के लिए कर्मभूमि इण्डिया के पदाधिकारी, स्वयं द्वारा बनाई गयी सूचियों से केन्द्र, प्रान्त, मण्डल , जिले, तहसील और ब्लाक स्तर की जो सहयोग धनराशि रसीद के द्वारा इस संगठन को देशव्यापी व्यवस्था बनाने में आने वाले आवश्यक खर्च को आग्रह करके केंद्र–50000/रु०, राज्य–20000/रु०, मंडल–10000/रु०, जिला–5000/रु०, तहसील–2000/रु० एवं ब्लाक–1000/ रु० (जो संगठन द्वारा निर्धारित है) की रसीद काट कर संग्रह करना व संगठन को उपलंब्ध करवाना होगा जिसमे से 25% कार्यकर्त्ता को जिन्होंने रसीदें काटकर संगठन संचालन के लिए कार्य किया है आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त होगा और सहयोग स्लिप पूर्ण हो जाने पर उसे ऑफिस में जमा करना होगा।

1. सभी स्तर के पदाधिकारियों को पंजीयन प्रक्रिया पूरी करते हुए पद, प्रशिक्षण, कार्यभार, निर्देशन व नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा दूरदृष्टि रखते हुए चयन करना होगा। जो स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हुए संगठन के विकास के लिए निरंतर कार्य करे।
2. प्रत्येक जिले में आने वाले व्यय भार की व्यवस्था सहयोग राशि से जुटाना, जिले से कम से कम 200 लोगों से सहयोग लेना जिससे बुक, ब्रोसर और रसीदें प्रिंट करायी जा सके।
3. यह जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के 10 पंजीकृत लोगों को ही दी जाएगी।
4. संगठन में कार्य करने वाले पदाधिकारियों के यात्रा खर्च व अन्य खर्च को सहभागिता राशि से नियोजित किया जायेगा।
5. सभी रजिस्टर्ड मेम्बरों से एक निश्चित सहयोग धनराशि की अपेक्षा होगी जिससे सभी जिलो के लिए पुस्तिका, ब्रोसर, फोल्डर, रसीदे, डायरी, कैलेंडर, व अन्य स्टेशनरी जो उद्देश्य को लोगों के बीच पहुचाने में सहायक हों उपलब्ध करायी जा सके और मूलधन नष्ट ना हो जिससे संगठन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे।

सहयोग सुविधा शुल्क–

पंजीकृत और अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति सहयोग और सुविधा शुल्क के लिए आग्रह करेगा इस कार्य को करने के लिए कम से कम 2 लोग साथ रहकर करेंगे। यह कार्य प्रत्येक जिले में निरंतर

मीटिंग होने से लेकर उद्देश्य पूर्ति तक करना होगा। जिससे संगठन के कार्य में आने वाले आवश्यक खर्च में बाधा ना आये।

कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड का केन्द्र, प्रान्त, मण्डल, जिला, तहसील, ब्लाक स्तर का कार्यकर्ता जो पंजीकरण के द्वारा नियुक्त हो और संगठन से कोड, ID, जारी कर अधिकृत किया गया हो उसे ही संगठन रसीदें उपलब्ध कराएगा और वो ही व्यक्ति इस आर्थिक संगठन के लिए सहयोग राशि का आग्रह कर सकता है। सहयोग के बिना व्यवस्था बनाना संभव नहीं। क्योकि जो खर्चे हैं उसे एक व्यक्ति वहन करने में अक्षम है। इसलिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है जिससे संगठन पे बैक टू सोसाइटी के अंतर्गत स्थापित किया जा सके।

संगठन स्थापित करने हेतु पूँजी का निर्माण (पंजीकृत संस्था के लोगों के सहयोग के माध्यम से)

1. केंद्रीय स्तर की सदस्यता रसीदों द्वारा (50000)
2. प्रान्तीय स्तर की सदस्यता रसीदों द्वारा (20000)
3. मण्डलीय स्तर की सदस्यता रसीदों द्वारा (10000)
4. जिले स्तर की सदस्यता रसीदों द्वारा (5000)
5. तहसील स्तर की सदस्यता रसीदों द्वारा (2000)
6. ब्लाक स्तर की सदस्यता रसीदों द्वारा(1000)

हम क्यों दें सहभागिता धनराशि क्योंकि बड़ी सहभागिता वालों के द्वारा या उनके घरों से ही कर्मचारी चयनित किये जायेंगे।

केंद्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय, जनपदीय, तहसील व ब्लाक स्तर के पदाधिकारी सदस्यता रसीद द्वारा आवश्यक संसाधन हेतु पूँजी का सहयोग करते हुए संगठन के विकास के लिए निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

प्रथम चरण के कार्य

1. राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय व जिले स्तर के लोगो से सम्पर्क स्थापित कर उनका नाम, पता, संपर्क, ईमेल, के साथ सूची बनाना।
2. उपरोक्त सूंचीबद्ध लोगों से (सन्देश) एवं सम्पर्क द्वारा कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन के उद्देश्यों की जानकारी देना और समय, स्थान, दिनांक निश्चित कर लोगों से मीटिंग में उद्देश्य प्रस्तुत करना।
3. कर्मभूमि इंडिया आर्थिक संगठन के उद्देश्य से मीटिंग में सहमत लोगों का पंजीकरण करना (कार्य संचालन के लिए पंजीकृत लोगो को लाभ व जिम्मेदारी बताना)
4. पंजीकृत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजक, स्थान, दिनांक, दिन व समय निश्चित

करके प्रशिक्षण देना और उन्हें लाभ बताना।

5. प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं(कर्मचारियों) को कार्य की जिम्मेदारी(भारार्पण) व व्ययभार निश्चित कर राष्ट्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय, जिले, तहसील, व ब्लाक स्तरों पर पदभार एवं कार्य निर्देशन करना।
6. केन्द्र, जोन, प्रदेश, मण्डल, जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तरीय कार्यकर्ताओं का चयन, विशेष प्रशिक्षण, निरंतर आय, निर्देशन, कार्य और नियंत्रण निश्चित करना।
7. पंजीकरण प्रक्रिया– पंजीकरण के लिये 2 फोटो, वोटर ID, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं 250 रु० के साथ संगठन का पंजीयन फॉर्म भरना अनिवार्य है। 250 रु. आवश्यक स्टेशनरी के लिए आपकी सहयोगराशि है जो आपको वापस नही की जाएगी।
8. सबसे पहले सभी प्रान्तों के प्रत्येक जिले से 10 लोगों का पंजीकरण के साथ देश के सभी 707 जिलों में संगठन तैयार करना है। संगठन के लिए कार्य करने वाले सभी पंजीकृत लोगो को केन्द्र, प्रान्त, मण्डल और जिलेवार 10–10 लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके उपरान्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निर्देश किया जायेगा।

द्वितीय चरण के कार्य

1. केन्द्रीय प्रस्तुतिकरण व प्रशिक्षण (दिल्ली में सभी राज्यों से मुख्य पदाधिकारियों, 108+360 लोगों का जो पंजीकृत हुए हैं, प्रत्येक प्रान्त से 10–10 लोगों की) (निरन्तर प्रशिक्षण सभी जोनों)
2. प्रान्तवार मीटिंग(प्रस्तुतीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदेश के सभी जिलो से सभी 10–10 पंजीकृत लोगो का, प्रदेश की राजधानियों में)
3. मंडलवार मीटिंग सभी मण्डल के जिलो से सभी पंजीकृत लोगों को प्रस्तुतीकरण एवं प्रशिक्षण मंडल के बड़े शहरों में।
4. जिलेवार मीटिंग व प्रशिक्षण प्रत्येक जिले से कुल पंजीकृत कर्मचारियों की सभी जिला मुख्यालय में।
5. तहसील एवं ब्लाक स्तरीय मीटिंग एवं प्रशिक्षण जिले के पदस्थ व्यक्ति निर्धारित कर प्रत्येक सप्ताह स्थान बदल–बदल कर करेंगे और माह में एक निर्धारित स्थान पर करेंगे।
6. मीटिंग के उपरान्त ऐसे युवा व्यक्तियों का चयन करके संगठन को जानकारी देना जो समर्पित, निष्ठावान हों और अपना करियर कर्मभूमि को बनाना चाहते हों ।

तृतीय चरण के कार्य

केंद्रीय, प्रान्तीय, मण्डलीय, जिले, तहसील, ब्लाक स्तर पर पदस्थ पंजीकृत कर्मचारियों, सहयोगियों, को उपरोक्त स्तरीय लोगों की लिस्ट तैयार करना जिसमे सेवारत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 500 लोगों की और 50 सामाजिक युवाओ की लिस्ट तैयार करना जो विचारों से सहमत हो व कार्य

के लिए सहमत हो जिसमे नाम, पता, फोन, ईमेल सहित विवरण हो। प्रत्येक जिले से तैयार करके ऑफिस संलग्न करना।

1. केंद्रीय पंजीकृत मेम्बरों में सेवानिवृत्त, सेवारत जजेज, आईएएस, पीसीएस, गैजेटेड ऑफिसर, शिक्षा में विशेष पदों पर, बैंकिंग क्षेत्र के किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष, सीइओ, राजनैतिक व्यक्ति, उद्योगपति, कंपनी मैनेजमेंट, MBA, HR व अन्य उपरोक्त के समकक्ष ही केन्द्रीय टीम में स्वीकार्य होंगे। इनकी संख्या 108 उच्च स्तरीय मेम्बर और 360 समकक्ष मेम्बर होंगे।
2. जोनों के ऑफिसर कंपनी मैनेजमेंट से MBA, विशेष विश्वविद्यालयों से ही स्वीकार होंगे।जो रिक्रूटमेंट के द्वारा या कैम्पस रिक्रूटमेंट से ही स्वीकार होंगे।
3. प्रांतीय पंजीकृत मेम्बरों में उपरोक्त पैरा नंबर 1 व 2 के अनुरूप होगा जिनकी संख्या प्रदेश के जिलो के अनुरूप होगी। प्रत्येक जिले से कम से कम 1 या अधिकतम 3 होगी। प्रत्येक जिले से 1 या तीन मेम्बरों की संख्या जिलों की संख्या पर निर्भर करेगी।
4. मण्डलीय पंजीकृत में सेवानिवृत्त, सेवारत कर्मचारी MBA मार्केटिंग, BBA, शिक्षित युवा, राजनैतिक सामाजिक युवा, नेटवर्कर, कंपनियों में अनुभव प्राप्त, बैंकिंग में अनुभव प्राप्त कर्मचारियों का चयन स्वीकार होगा।
5. जिले के पंजीकृत मेम्बर में सेवारत, सेवानिवृत्त, शिक्षित, सामाजिक कार्यकर्त्ता, राजनैतिक, शिक्षित युवा, रोजगार के लिए प्रयासरत युवाओ का चयन एवं पंजीकरण
7. तह्सील एवं ब्लाक भी उपरोक्त पैरा 5 के नियमानुसार ही होगा।

चतुर्थ चरण के कार्य

1. पंजीकृत, प्रशिक्षित, पदस्थ, केन्द्र, राज्य, मंडल, जिला, तहसील और ब्लाक स्तर को सहयोग राशि सदस्यता रसीद देना। निर्देशित करना कि किस स्तर के लाभ के पदों पर नियुक्ति के लिए क्या सहयोग राशि देनी होगी। वे स्लिपें वे सभी स्तरों की अलग अलग हैं। सदस्यता रसीद 1000/– की होगी जिससे पदभार नही हो। जो मीटिंगों के खर्चे के लिए प्रत्येक जिले के 300 लोगों या इससे अधिक लोगों से समय–समय पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए सहयोग प्रार्थनीय होगा। जिससे विचार व विस्तार होता रहे।

नोट–जिससे मीटिंगों पर आने वाला व्ययभार समर्थक या कार्यकर्ता पर न आये। कार्य करने वाले पंजीकृत सदस्यों जों सभी व्यक्ति वित्तपोषित होंगे।

2. देश के जिन प्रान्त, मण्डल, जिलों में पंजीकरण, प्रशिक्षण हो गया हो। सभी कार्यकर्ताओ को निर्देशित करना। 200 सेवानिवृत्त और 300 सेवारत लोगों, 50 सोशल कार्य करने वाले युवाओ की लिस्ट बना कर आर्थिक संगठन की प्रस्तुतिकरण के लिए मीटिंग बुलाना कार्य, सहयोग व विस्तार के लिए प्रेरित व आग्रह करना।

3. मीटिंगों के उपरांत जो व्यक्ति कर्मभूमि इंड़िया आर्थिक संगठन के मानसिक, वैचारिक, आर्थिक समर्थक होंगे उनका निरंतर पंजीकरण, प्रशिक्षण, चयन, भारार्पण, निर्देशन और नियंत्रण करना। विशेष रूप से कार्य करने वालो को पदोन्नति और सुविधा व वित्त के विशेष रूप से बढ़ोत्तरी करना।

4. मीटिंग, पंजीकरण, प्रशिक्षण, चयन, भारर्पण का कार्य निरन्तर होगा। जब तक केंद्र के मुख्य 108 पद, सभी राज्यों से 10—10 लेकर 360 पद, सभी मंडलों से 171X10=1710 पद सभी जिलों से 707X100=70700 पद पूर्ण न हो। मीटिंगों के लिए जिलों, प्रान्तों, केंद्र से संपर्क स्थापित करते हुए मीटिंग एवं पंजीकरण, चयन, प्रशिक्षण, भारार्पण एवं निर्देशन निरंतर करना। जिसमे केंद्र के समस्त प्रान्तों, मण्डल, जिलों, तहसील व ब्लाको तक विस्तार संभव हो।

5. आर्थिक संगठन को विस्तार देने के लिए समर्पण, सत्यनिष्ठा से निरन्तर निर्देशन में कार्य करने वाले पदस्थ कर्मचारियों को संगठन विशेष सुविधाएँ प्रदान करेगा।

6. प्रत्येक पदस्थ कर्मचारी, कार्यकर्ता, सहयोगी वह केन्द्र, प्रान्त, मण्डल, जिला, तहसील, ब्लाक स्तर पर कार्य करने वाला अपने से नीचे वाले पदों वाले कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, सहयोगियो के कार्य की समीक्षा करना। शीर्ष लोगों को जानकारी देते हुए मुख्यालय को सूचना देना एवं संगठन के कार्य को सुनियोजित कराना सभी का कार्य होगा।

पाँचवें चरण के कार्य

1. सभी पंजीकृत जिले, ब्लाक, तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं को 200 सेवानिवृत्त व 300 सेवारत लोगों से सामूहिक व व्यक्तिगत मिलना, सभी से सदस्यता व सहयोग राशि की रसीदें कटवाना, सहयोग राशि से उस जिले में एक बड़ी मीटिंग करवाना जिसमे 500 लोगो जिससे सहयोग राशि ली गयी है।

   उनके माध्यम से 5 लोगों को आमंत्रण कार्ड देना, बुलाना, कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन का प्रस्तुतीकरण करना। मीटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 1,000/— रूपये सहयोग शुल्क होगा।

2. 500 लोगों से सहभागिता राशि जुटाने के लिए आग्रह करना यह धनराशि 5,000/— से 10,000/— रु० एकबार हो यह धनराशि जिले, तहसील, ब्लाक स्तर की रसीदों को काट कर जुटाना होगा। 25 लोग यदि प्रतिदिन 2 लोगों से रसीद लेकर संपर्क करते है तो 50 लोगों से सहयोग राशि जुटाई जायेगी। 10 दिन में ही 500 लोगों तक बात भी पहुँच जाएगी और सहयोग राशि भी मिलेगी। धनराशि से जमीन एवं ऑफिस बनवाना। जिससे कंप्यूटर, कुर्सी, मेज व अन्य ऑफिस की आवश्यक आवश्यकतायें पूरी हों।

3. मीटिंग स्थल बुक करवाना आमंत्रण कार्ड के साथ सभी लोगों को आमंत्रित करना, निवेश के लिए आग्रह करना।

4. प्रत्येक जिले में सहयोग राशि 5,000/— से 10,000/— रू० प्रतिव्यक्ति होगीद्य इस तरह 50 लाख की पूँजी पूरे जिले से जुटाई जाएगी। इस धनराशि से कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड के नाम

जमीन पर ऑफिस निर्माण होगा।

5. प्रत्येक जिले से 10,000/– सालाना की आर० डी० 200 लोगों से लेना है जिससे 20 लाख सालाना होगी जिससे कार्य नियमित हो जायेगा। 2,000/– प्रति माह की आर० डी० प्रतिमाह 500 होगी तो 10 लाख रु० प्रति माह होगा। जिससे बैंकिंग रन करेगी।
6. 500 लोगों का 1 लाख का निवेश पेंशन और चेक रिटर्न प्लान के द्वारा प्रत्येक जिले में 5 करोड़ की पूँजी के साथ एक बड़ी देश व्यापी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी।
7. इस तरह से पे बैक टू सोसाइटी के आधार को अनुसरण करते हुए आप सभी इस बड़ी व्यवस्था को दे सकते है। इसके लिए सभी लोगो को निरन्तर प्रयासरत रहना है ।

विस्तार नीति

1. देश में सभी 36 प्रान्तो में 36 लोगों की सहभागिता व लाभ बताना।
2. सभी 171 मण्डलों में 171 लोगों की सहभागिता व लाभ बताना।
3. सभी 707 जिलों में 707 लोगों की सहभागिता व लाभ बताना।
4. सभी 5410 तहसीलों में 5410 लोगो की सहभागिता व लाभ बताना।
5. सभी 6412 ब्लाकों में 6412 लोगो की सहभागिता व लाभ बताना।

चयन प्रक्रिया

1. वे लोग जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संगठन के उद्देश्य को लोगों के बीच रखते हुए लोगो का नाम पता और संपर्क नम्बर कर्मभूमि इण्डिया के ईमेल या फोन पर भेजें या ऑफिस में **नोट** करायें। साथ–साथ आग्रह करके सहयोग राशि जुटा सके जिससे कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन के मुख्य कार्यों का संचालन सुव्यवस्थित हो सके।
2. उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिले से कोर कमेटी, सेवा निवृत्त या दूर द्रष्टा लोगों का चयन व 10 लोगों का नाम, पता, नंबर आदि को संकलित करके संगठन को उपलब्ध कराना और उनके बीच विचारों का प्रसार करना व समर्थन जुटाना।
3. वे लोग जो संगठन के निर्देशानुसार उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित हो एवं मानसिक रूप से सहमत हों, ऐसे कर्मचारियों का चयन ।
4. कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिले से कम से कम 500 सभी विभागों को मिलाकर सेवारत और सेवानिवृत्त, व्यापारी, सामाजिक और अन्य लोगों की सूची जिनसे सहयोग राशि व एक निवेश का आग्रह हो।

कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन में सभी पदों पर कार्यरत लोगों के लिए दीर्घकालिक लाभ

कर्मचारी मैनेजमेंट टीम

1. केन्द्रीय इकाई में BOD और 8 ZONAL और 36 GM और 171 DvM और 707 BM और 707X10=7070 उप शाखा प्रबंधक और 7070X20=141,400 DO के पद हैं और 141400X20= 2,82,8000 ऐडवाइजर के पद हैं इन पदों पर कार्य करने वाले पदस्थ कर्मचारियों को रसीद के द्वारा प्राप्त सहयोग राशि से 25% व स्वयं के द्वारा कराये गये निवेश में से उसकी पोस्ट तक के सामने का कमीशन जुड़ के मिलेगा और आप की टीम के द्वारा कराये गये निवेश से आपकी पोस्ट के सामने का कमीशन मात्र प्राप्त होगा।

नोट– उपरोक्त सभी पदों के लोगो का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है इसके लिए कर्मभूमि इण्डिया का रजिस्ट्रेशन फॉर्म. 2 फोटो. वोटर ID + आधार कार्ड. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र. बैंक account इन सभी की फोटोकॉपी 250 रु फॉर्म भरते समय संलग्न करना आवश्यक है।

सहभागिता के लिए पांच प्रकार के लोगों का चयन(सहभागिता से लाभ व विकास)–

1.राज्य स्तर – पर सभी राज्यों से 36 लोगों की सहभागिता, एक राज्य से एक व्यक्ति द्वारा 100 करोड़ की सहभागिता या इससे अधिक लोगों की सहभागिता होगी। यह कार्य पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया या कराया जा सकता ह। जिसमे अंशधारी या निवेशक को कुल पूँजी का 450% कुल वापसी होगी, 250% वार्षिक 50% के हिसाब से प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक वापस होगा और 6 वर्ष पर सहभागिता राशि का 200% भी प्राप्त करेगा। यह धनराशि चाहे 10 लाख के गुणक में 1000 लोगो की सहभागिता या 1 करोड़ के गुणक में 100 लोगों की सहभागिता जिससे संगठन का विस्तार सभी प्रान्तों में हो सके।

2. मंडल स्तर– पर 171 मंडलों में 171 लोगों की सहभागिता, प्रत्येक मंडल में एक व्यक्ति द्वारा 5 करोड की सहभागिता या 250 व्यक्तियों द्वारा 2 लाख के गुणक में सहभागिता। जिसमे अंशधारी या निवेशक को 40% वार्षिक निवेशक को प्रतिवर्ष देते हुए उसकी पूँजी का 200%, 6 वर्ष बाद प्राप्त होगा।

3. **जिले स्तर** पर पूरे देश से 707 लोगों की सहभागिता प्रत्येक जिलो में एक व्यक्ति द्वारा 2 करोड़ की सहभागिता या 1 लाख के गुणक में 200 लोगों की सहभागिता, जिसमे अंशधारी या निवेशको को 30% वार्षिक लाभ देते हुए निवेशक की पूँजी. + 30% 6 वर्ष पश्चात प्राप्त होगा।

4. तहसील स्तर पर पूरे देश से 5410 लोगों की सहभागिता जिसमें प्रत्येक की 1 करोड़ की एक व्यक्ति द्वारा सहभागिता यां 1 लाख के गुणक में 100 लोगों की सहभागिता, जिसमे अंशधारी या निवेशक को 25% वार्षिक लाभ देते हुए 6 वर्ष पश्चात निवेश धनराशि + 25% प्राप्त होगी।

5. ब्लाक स्तर पर पूरे देश से 6612 लोगों की सहभागिता जिसमे प्रत्येक व्यक्ति की 50 लाख की एक

व्यक्ति द्वारा अंशधारिता या सहभागिता होगी या 1 लाख के गुणक में 50 लोगों की अंशधारिता या सहभागिता होगी, जिसमे अंशधारी या निवेशक को 20% वार्षिक लाभ देते हुए 6 वर्ष पश्चात धनराशि + 20% प्राप्त होगी।

6. **केन्द्र, प्रान्त, मण्डल,** जिले के सभी पंजीकृत, प्रशिक्षित, प्रेरित एवं निर्देशित सोशल मैनेजमेंट टीम 71,915 लोगों द्वारा मीटिंग व अन्य प्रसार माध्यमों के द्वारा प्रत्येक जिले में 500 लोगों तक संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं विस्तार नीति को पहुचाना है। जिससे समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करते हुए देशव्यापी विस्तार किया जा सके।

नोट– सभी स्तर के कार्यकर्ता या निवेशकर्ता उपरोक्त किसी भी स्तर की ऑफिस को जो निर्धारित की गयी धनराशि स्वयं या सहयोगियों द्वारा स्थापित करने वाली पूँजी को अंशधारिता या निवेश राशि को पूर्ण करते हैं ऐसी स्थिति में उस कार्यकर्ता या निवेशकर्ता को पूर्ण व्यवसाय का 0.25 % आजीवन व निरन्तर जबतक उक्त पूँजी हैं का लाभ प्राप्त होगा। संगठन उपरोक्त कार्ययोजना के अंतर्गत शीघ्र ही स्थापित करके समाज व राष्ट्र को समर्पित होगा।

कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक सगठन– यह संगठन कर्मभूमि इण्डिया लिमिटेड द्वारा आपके सहयोग एवं लोगों की अंशधारिता व सहभागिता पर आधारित है। जो विभिन्न उपरोक्त प्रसार माध्यमो द्वारा निरन्तर बिस्तारित हो रहा है। आप सभी के सहयोग से सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनैतिक संगठनो का उदभव एवं विकास आपके द्वारा किया गया है। जिसे आप लोगों ने सहयोग से ही विकसित किया है जिससे परोक्ष रूप से आपको लाभ नही मिल रहा है। और हम सबने सहकारिता और सहभागिता की भावनाओ से उनका भी निर्माण किया है।

कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन का निर्माण भी इसी आधार पर हो रहा है, जिसका परोक्ष रूप से लाभ सभी पंजीकृत लोगों, कर्मचारियों, केन्द्र, प्रान्त, मण्डल, जिला, तहसील, ब्लाक स्तर के सभी सहभागियों को परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगाद्य निश्चित ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा जिसकी व्यवस्था संगठन के सॉफ्टवेयर में सभी के कार्य और पद अनुरूप किया गया है। जो कर्मभूमि APP को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने द्वारा किये गए कार्य का परिणाम स्वयं देख सकेंगे।

नोट– कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन की प्रत्येक जिले में परिसंपत्ति बनाना और संगठन की जमीन पर कार्यालयों का निर्माण करना जिससे कि पूँजी का विकास हो सके और कार्य का सुव्यवस्थित नियोजन हो सके जिससे संगठन पर आने वाले व्ययभार में कमी और संगठन की उत्तरोत्तर बृद्धि हो सके।

कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन में सहभागिता व निवेश से लाभ निम्न हैं–

सहभागिता निवेश संगठन के द्वारा 5 प्रकार के निर्धारित किये गये हैं जिसके माध्यम से संगठन में निवेश करके लाभ लिया जा सकता है।

हमारा कल्पना दर्शन

– अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिस्पर्धी, विशाल वित्तीय समूह, जो बिभिन्न समाजो के लिए महत्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

हमारा लक्ष्य

– अकाँक्षाओ के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नति करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करना एवं देश का विकास करना

हमारे मूल्य

अभिरक्षण व शिष्टाचार

अभिक्रम व नवीनता

सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता

गुणवत्ता व लाभ

सहयोग व सम्बन्ध

विश्वसनीयता व भरोसा

हमारी संस्कृति

दक्षता

अनुकूलता

सहयोग

प्रतिबध्दता

अनुशासन

अधिकृत करना

संवेदनशीलता

उत्कृष्टता

हमारी प्रतिबद्धता

समाज के लिए हम

– सभी सहयोगियों अंशधारियों व निवेश योग्य व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे, जिनमे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े जन भी सामिल होंगे।

– बदलते हुए सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश के अनुरूप सहभागिता व लाभ संबंधी आवश्यकताओ की पूर्ति करेंगे।

– समाज के हित तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान मे रखते हुए अपने सम्पूर्ण व्यवसाय का संचालन करेंगे।

अपने निवेशकों के लिए

हम

- त्वरित कुशल तथा शिष्टाचारपूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
- उनकी निधियों के न्यासी के रूप मे कार्य करेंगे तथा उनके सर्वोत्तम हित के लिए निवेश करेंगे।
- अधिकतम मितव्ययिता तथा ठोस व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर अपने व्यवसाय को संचालित करेंगे।
- ग्राहकीय सम्बन्ध स्थायी बनाएँगे तथा उन्हे सुरक्षित रखेंगे।
- ग्राहको को अपने उत्पादों और सेवाओ सम्बन्धी जानकारी देते रहेंगे।

अपने कार्यबल के लिए–

हम

- उनमे सहभागिता की भावना को बढ़ायेँगे तथा उन्हे उन्नति मे साझेदार बनाएँगे।
- उनमे कार्य संतुष्टि तथा गौरव की भावना के लिए कार्य करेंगे।
- उपयुक्त वातावरण तथा विकास के अवसर उपलब्ध कराएंगे ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकें।
- उनकी व्यवसायिक कुशलता के विकास के लिए प्रयास करेंगे ताकी वे अपने कार्यभार का अधिक कुशलता से निर्वाह कर सकें।

निवेशकों के साथ निष्पक्ष व्यवसाय के मापदंड

हम–

- अपने निवेशकों के साथ सुलभ व पारदर्शी रूप से व्यवसाय का प्रयास करेंगे।
- अपने से संबन्धित औचित्य को समझायेँगे जो व्यवसायिक सि)ान्तों के अनुरूप है।
- विस्तृत विकल्प उपलब्ध कराने हेतु अपनी उत्पाद सृंखला तथा सेवाओं का लगातार विस्तार करेंगे।
- हमारे सेवाओं मे कमी होने की स्थिति मे क्षतिपूर्ति के तौर पर ब्याज रद्द करेंगे या फिर ब्याज देंगे।

ग्राहको को आसानी से सूचना प्राप्ति के मापदंड

हम

– ग्राहकों तथा जनसाधारण को अपने उत्पादों व सेवाओं से संबन्धित उपलब्ध विभिन्न बिकल्पों से अवगत कराएंगे।

– ग्रहकों को अपने उत्पादों व सेवाओं संबंधी जानकारी आसानी से समझ मे आने वाली क्षेत्रीय भाषावों के उचित साहित्य एवं पुस्तिकाओं के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

– हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, इंटरनेट जैसी बिभिन्न सुबिधाओं द्वारा ग्राहक हमसे आसानी से संपर्क कर सकें।

निवेशकों की शिकायत निवारण सम्बन्धी मापदंड

हम–

अपने निवेशकों को अवसर प्राप्त करेंगे ताकि वे अपनी शिकायतों के सम्बन्ध मे कंपनी के सभी कार्यालयों मे नियुक्त हमारे शिकायत निवारण अधिकारी से हर सोमवार को दोपहर बाद बिना किसी पुर्व नियोजित समय के मिल सके स इन अधिकारियों से अन्य दिनों पूर्व नियोजित समय पर मिला जा सकेगा।

सभी सिकायतों का पंजीकरण करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका निपटारा प्राप्ति के पंद्रह दिनो के भीतर कर दिया जाय स इस अवधि से ज्यादा समय लगने पर यादि आग्रह किया गया तो हम कारण बताएंगे।

मंडल कार्यालय द्वारा अस्वीकृत किये गए दावों से संबन्धित दावेदारों को अवसर देगे कि वे क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय स्तर पर कार्यरत दावा समीक्षा सिमिति मे समीक्षा हेतु पुनरावेदन कर सकें।

समर्पण

मैं विचारों के द्वारा अपने माता-पिता के साथ एवं देश के उन लोगों को जिन्हें मानवीय मूल्यों पर असमानता के स्तर से गुजरना पड़ता है। जैसे धर्म सम्प्रदाय, जाति, अमीर, गरीब, के स्तर से मनुष्य में असमानता होती है ऐसा सिर्फ उसके पास भौतिक संसाधनों की कमी और अधिकता से होती है जो सिर्फ और सिर्फ मुद्रा से ही भूत, वर्तमान और भविष्य में पूरी की जा सकती है। मेरा प्रयास है जिस तरह मुद्रा का मूल्य देश के किसी भी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, आम व खास व्यक्ति के पास किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य कम ज्यादा नहीं होता, उसी तरह मानवीय सभ्यता में मनुष्य का मूल्य आर्थिक दृष्टिकोण से कम ज्यादा हो परन्तु मानवीय स्तर पर उसका मूल्य कम ज्यादा ना हो। मुद्रा की तरह ही मनुष्य का सम्मान और तिरस्कार हो। जैसे- किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य किसी भी व्यक्ति के पास रहने पर उसका मूल्य कम ज्यादा नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य का मानवीय मूल्य मनुष्य के बीच कम ज्यादा ना हो। मैं समता मूलक समाज और देश का निर्माण करना चाहता हूँ। और ऐसे ही देशवासियों को मैं यह व्यवस्था कर्मभूमि इण्डिया आर्थिक संगठन को उन्हें समर्पित करते हैं।